न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 15/2018
दायर दिनांक – 19/01/2018
निर्णय दिनांक – 11/06/2018

अनवान

1. अम्बालाल पिता नोला माली निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
2. नारायणलाल पिता वेणीराम माली निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
3. गुलाब पिता दयाराम माली निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
4. चुनीया पिता दयाराम माली निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
5. जयराम पिता दयाराम माली निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
6. भैरूलाल पिता दल्ला माली निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
7. गणेश पिता उदयराम कीर निवासी सांवलिया खेडा तहसील रेलमगरा
8. अम्बालाल पिता कालु माली निवासी पछमता तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता भवाना रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
2. शंकरलाल पिता भवाना रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
3. तलोक पिता भवाना रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
4. भुरालाल पिता भवाना रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
5. डालु पिता कालु रेगर (बोला) निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
6. दलीचन्द पिता किशोर रेगर (बोला) निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
7. गोपीलाल पिता किशोर रेगर (बोला) निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
8. शंकरलाल पिता किशोर रेगर निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
9. भंवरलाल पिता गांगा रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
10. सोहनलाल पिता गांगा रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
11. रामचन्द्र पिता गांगा रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
12. माधु पिता गांगा रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
13. नारू पिता केला रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
14. चुन्ना पिता केला रेगर निवासी वगतपुरा तहसील रेलमगरा
15. मांगु पिता वरदा रेगर निवासी खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर

विपक्षीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट.

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम बगतपुरा की सरहद में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 105, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117 कुल किता – 08 कुल रकबा 11–10 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के दक्षिण दिशा में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 14 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 कुल किता – 19 कुल रकबा 25–00 बीघा भूमियां स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की आराजियात के दक्षिणी दिशा में विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 14 की आराजियात स्थित प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त आराजियात व विपक्षी संख्या 01 से लगायत 14 की कृषि आराजियात के मध्य सीमाकंन के रूप में कोई स्थाई चिन्ह अंकित नही है न ही मौके पर कोई डोल, थोहर बाड इत्यादि है, जिससे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 14 के बीच सीमा संबंधित विवाद, लडाई झगडा होते रहते है तथा विपक्षी आये दिन प्रार्थीगण की जमीन में जबरन प्रवेश कर थोहर बाड लगाने की कोशिश करते है तथा सीमा को लेकर बराबर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 14 द्वारा आये दिन सीमा संबंधी विवाद करने से एवं अनाधिकार प्रार्थीगण की आराजियात में प्रवेश कर प्रार्थी की उक्त आराजियात पर कब्जा करने की कोशिश करने के कारण व विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 14 अपनी आराजी में मिलाने के लिये प्रयासरत रहते है जिस कारण प्रार्थीगण ने लेण्ड रेकार्ड अधिकारी महोदय के यहां सीमा धारा 111 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार रेलमगरा को दिनांक 25/10/2017 को पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार रेलमगरा को मामलें में आप स्वयं मौके पर जाकर निर्णय अनुसार पालना की जाकर इस कार्यालय को अवगत करावें। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा दिनांक 01/11/2017 को भू अभिलेख निरीक्षक पछमता, पटवारी हल्का मेहन्दुरिया खडबामनिया को नियुक्त कर प्रार्थना पत्र की पालना रिपोर्ट 07 दिवस में पेश करें अंकित कर प्रस्तुत किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक पछमता द्वारा दिनांक 26/12/2017 नियत कर पत्थरगढी करने हेतु विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 26/12/2017 को विपक्षी संख्या 01 के पुत्र ने पत्थरगढी करने बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व पत्थरगढी मौका पर्चा फोटोकॉपी पेश की जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक पछमता द्वारा पत्थरगढी नही की गई एवं तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक पछमता द्वारा मूल पत्रावली आप न्यायालय को पुनः लौटा दी। जिस पर आप न्यायालय द्वारा व तहसीलदार रेलमगरा द्वारा अपनी आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु निर्देशित किया जिस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। जिसकी नकल दिनांक 04/01/2018 को मिली। विपक्षी संख्या 15 के द्वारा प्रार्थीगण नही बनने के कारण तथा आवश्यक पक्षकार होने के कारण विपक्षीगण के रूप में जोडा गया है। अन्यथा इनके

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

विरूद्व कोई दाद नही चाही गई है। प्रार्थीगण ने फसल बोने हेतु थोहर बाड की जिसको विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 14 द्वारा हटा दिया गया जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। खातेदार मु. रूपा बेवा दल्ला का देहान्त पूर्व में हो चुका है परन्तु अन्तकाल नही खुलने से जमाबन्दी में उनका नाम चल रहा है जिससे उनके स्थान पर उनके विधिक वारिस वादी संख्या 06 को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम खड बामनिया में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 105, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117 कुल किता – 08 कुल रकबा 11–10 बीघा के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 के बीच पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इस हेतु तहसीलदार रेलमगरा को कमीश्नर मुकर्रर फरमाया जाकर उक्त आदेश की पालना कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 01, 09, 10 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा विपक्षीगण संख्या 15 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है। पत्रावली अन्य विपक्षीगण के जवाब हेतु नियत थी कि राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के तहत् राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प खडबामणिया पर रखी गई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित तथा अन्य विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता ने अपनो जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04चार का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच स्थित सीमा बाबत् पत्थरगढी का आदेष माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01/06/2015 को हो चुका था तथा उक्त आदेश में भू अभिलेख निरिक्षक महोदय जी पछमता तथा पटवारी हल्का खडबामणिया पटवारी के द्वारा मौके पर पहुंच पत्थरगढी की गई व पत्थर भी रोपे गये, जिन पत्थरों को प्रार्थीगण के द्वारा हटा दिये गये और उक्त आदेश को नहीं मानकर उक्त गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि मौके पर पत्थरगढी की गई थी फिर भी प्रार्थीगण विपक्षीगण से आये दिन सीमा विवाद करते रहते है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 5 पांच का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण आये दिन विपक्षीगण की जमीन को अपने में मिलाना चाहते है। तथा आये दिन प्रार्थीगण ही लड़ाई झगड़ा करते रहते है जबकि विपक्षीगण के द्वारा उक्त आदेश माननीय न्यायालय से पूर्व में ही जारी करवा रखा है। तथा उसी आदेष के आधार पर मौके पर वत्थर गढ़ी भी की गई जिसकी प्रार्थिगण बिना बताये न्यायालय को अंधेरे में रखकर दुबारा वापस पत्थरगढी का आदेष पारित करवाना चाहते है। ऐसा कोई प्रार्थीगण को कानुनन अधिकार नहीं है। तथा जिस समय न्यायालय के आदेश से पत्थरगढ़ी की गई उस समय प्रार्थीगण भी मौके पर मौजुद थे और प्रार्थीगण के उक्त पर्चे मौके पर हस्ताक्षर भी कर रखे है। इसी आराजी का प्रार्थीगण दुबारा पत्थरगढ़ी का आदेश जारी नहीं करवा सकते है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 6छः

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

का विवरण जानकारी के अभाव में गलत है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 7 सात का विवगण गलत है विपक्षीगण द्वारा पूर्व में कराई गई पत्थरगढ़ी के पत्थर लगाये जिनको प्रार्थीगण के द्वारा हटा दिया गया था। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्र चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज होने योग्य है जो खारिज फरमाया जावें।

पक्षकारान् को सूना गया पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया की पूर्व में विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजीयात की पत्थगढ़ी करवायी गई थी प्रार्थी को भी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु स्वतन्त्र है न कि पूर्व में प्रार्थी की आराजीयात की पत्थरगढ़ी की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम वगतपूरा की आराजी संख्या 105, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117व विपक्षीगण की आराजी संख्या 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 के बीच पत्थर गढ़ी किया जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थर गढ़ी की जावें। वक्त पत्थर गढ़ी प्रार्थी कमिश्नर शुल्क 500 रूपये अदा करे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को कैम्प खड़बामणिया में सूनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा